बेटी बचाओ
Save the girl Child

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट/एल.ए./2015/ 81 दिनांक : 30/1/15

कार्यवाही विवरण

दिनांक 15.01.2015 को श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं पदेन उपाध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की अध्यक्षता में राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संलग्न **परिशिष्ठ "अ"** के अनुसार राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्य एवं आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी श्री नवीन जैन ने बोर्ड की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन बाबत् प्रगति रिपोर्ट राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के समक्ष रखी। प्रगति रिपोर्ट के एजेन्डा अनुसार चर्चा करके राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये :-

1. जिन समुचित प्राधिकारियों/प्राधिकृत अधिकारियों ने वर्ष, 2014 में सोनोग्राफी केन्द्रों के नियमित निरीक्षण कम किये हैं उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावें।
2. जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयकों के वार्षिक कार्य का मूल्यांकन प्रभावी ढंग से किया जावे एवं उस पर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अमल में लाई जावे।
3. सिविल रिट याचिका संख्या (PIL) 349/2006 वॉलेन्ट्री हेल्थ एसोसियशन ऑफ पंजाब बनाम भारत संघ व अन्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना समस्त समुचित प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करवाया जावे।
4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 10286/2012 डॉ0 विजय गुप्ता बनाम राज्य सरकार एवं 21 अन्य बन्च केसेज के प्रकरण में पारित निर्णय में जो कार्यवाही भारत सरकार से संपादित करवानी है " No perscribed manner under Rule, 19 of PCPNDT Act for Appeal against the decision of State Appropriate Authority" के बारे में भारत सरकार को पुनः स्मरण पत्र जारी किया जाये।
5. डी.बी. पीआईएल 3270/2012 एस. के. गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2014 की अनुपालना में सभी Stake holders की United Nation Fund for Population Activities व Rajasthan State Legal Services

Authority के सहयोग से दिनांक 10.01.2015 को **Judicial Colloquium** का आयोजन कराया गया है। **Judicial Colloquium** की **Rajasthan State Legal Services Authority** के माध्यम से सिफारिश प्राप्त होने पर उसकी अनुपालना शीघ्र की जावे।

6. डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9009/2014 डॉ0 महावीर प्रसाद गोयल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच के निर्णय कि **"एक सोनोलॉजिस्ट सिर्फ दो सोनोग्राफी केन्द्रों पर ही अपनी सेवाएं दे सकता है"** की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जावे।
7. सोनोग्राफी केन्द्रों के स्थान, रेडियोलॉजिस्ट व उपकरण बदलने की सूचना 30 दिन पहले समुचित प्राधिकारियों को दिया जाना अनिवार्य है, इसकी प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाये।
8. 104 टोल फ्री सेवा पर भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है, इस योजना का आम जनता में अत्यधिक प्रचार–प्रसार किया जाये तथा दिनांक 02.01.2015 को राज्य **"बेटी बचाओं प्रकोष्ठ"** की बैठक में 104 टोल फ्री सेवा बाबत् लिये गये निर्णय यथा– (1.) सभी निजी चिकित्सा संस्थानों व राजस्थान मेडिकल सर्विस कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रिंट करवायी जाने वाले प्रेस्क्रिपशन स्लिप (**Prescription Slip**) पर **"भ्रूण लिंग परीक्षण करवाना जघन्य अपराध है, तथा इसकी शिकायत 104 टोल फ्री सेवा पर की जा सकती है"** को प्रिंट करवायेंगे (2.) अगर किसी सोनोलोजिस्ट/रेडियोलोजिस्ट पर भ्रूण लिंग परीक्षण करने का गर्भवती महिला या परिजनों द्वारा दबाव डाला जाता है, तो संस्थान के प्रभारी **IMPACT** सॉफ्टवेयर पर **Red Alert** भेजें अथवा 104 टोल फ्री पर शिकायत दर्ज करावें (3.) चिकित्सक पर्चियों पर 104 हेल्प लाइन की सहायता (लिंग परीक्षण की शिकायत) की बात का पर्याप्त प्रचार–प्रसार करना तथा इसी प्रकार (**IMA/IRIA/FOGSI**) सदस्यों से भी अपनी **Prescription slip** पर **"बेटी बचाओं"** का मेसेज लिखने का कार्य करें।
9. मुखबीर योजना को और अधिक सफल बनाने हेतु इसे 104 टोल फ्री सेवा तथा Indian Medical Association, Indian Radiological & Imaging Association & Federation of Obstetric & Gynecology Society of India, Rajasthan चैप्टर जयपुर के प्रतिनिधियों से सक्रिय सहयोग लिया जाये।
10. मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के तहत द्वितीय किश्त ऑनलाइन भुगतान **"e-shubhlaxmi"** की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जाये ताकि 15.10.2015 से प्रत्येक लाभान्वित को ऑनलाइन भुगतान किया जा सके।
11. कन्या भ्रूण हत्या रोकने तथा **"बेटी बचाओं–बेटी पढाओं"** के नारे का गांव–गांव व ढांणी–ढांणी तक प्रचार–प्रसार करने के लिये सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृति मेलों में कार्यक्रम आयोजित करना।
12. भावी दंपति यानि कि युवा पीढी को भ्रूण लिंग परीक्षण नहीं करवाने हेतु अभी से तैयार करने के लिये महाविद्यालयों में Youth Development Centre, National Services Scheme, National Cadet Corps तथा स्काउट एवं गाइड के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उसे

शीघ्र पूर्ण करवाया जाना तथा झुंझूंनू जिले में अभी हाल ही में आयोजित **"बेटी बचाओं"** शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तरह राज्य के सभी जिलों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाया जावे।

13. प्रदेश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के प्रावधानों की सख्ती से पालना करवाने हेतु सोनोग्राफी मशीनों की खरीद और बिक्री पर नजर रखने के लिये विशेष सतर्कता बरतने पर बल दिया जाना एवं भ्रूण लिंग परीक्षण से जुडे संदेहास्पद व्यक्तियों एवं संस्थानों के चिन्हीकरण में स्वयंसेवी संस्थानों व संगठनों का सहयोग लिया जाये।
14. **"बेटी जन्म बधाई संदेश"** की अनुपालना प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जाये।
15. जिन सोनोग्राफी मशीनों के Active Tracker / Silent Observer की AMC/सिम रिचार्ज नहीं करवाई गयी है उन सभी सोनोग्राफी मशीनों के Active Tracker / Silent Observer की सिम रिचार्ज पीसीपीएनडीटी समन्वयक के द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा इसकी अनुपालना रिपोर्ट 05.02.2015 तक मुख्यालय को ऑनलाइन भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही संबंधित कम्पनी से जिले के स्थापित की गई ट्रेकिंग डिवाईस की AMC की स्थिति (Status) की सूचना प्राप्त करें।
16. सोनोग्राफी मशीनों से संबंध Active Tracker / Silent Observer की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु राज्य मुख्यालय पर एक सेन्टर सर्वर रूम बनाया जाये, जहां राज्य की समस्त सोनोग्राफी फिल्म संरक्षित रखी जा सके एवं जिसके माध्यम से प्रत्येक गर्भवती महिला की सोनोग्राफी फिल्म को आवश्यकता पड़ने पर देखा जाकर उसका विश्लेषण किया जा सके। इस हेतु पीआईपी वर्ष, 2015–16 में आवश्यक बजट का प्रावधान रखवाकर भारत सरकार से अनुमोदित करावें।
17. ऑनलाइन फॉर्म **"एफ"** की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिये पीसीपीएनडीटी समन्वयक प्रतिदिन लॉग इन करके प्रत्येक सेन्टर का डाटा चैक करें।
18. IMPACT सॉफ्टवेयर द्वारा **"कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है। लिंग परीक्षण की शिकायत 104 नम्बर पर निःशुल्क दर्ज की जा सकती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार"**, संदेश समस्त सोनोग्राफी करवाने वाली गर्भवती महिला को SMS के माध्यम से भेजा जा रहा है। इसी सॉफ्टवेयर पर मासिक प्रगति रिपोर्ट व त्रैमासिक रिपोर्ट अपलोड करने की व्यवस्था की जाये एवं इसकी समयबद्ध पालना सुनिश्चित की जाये।
19. पीसीपीएनडीटी से संबंधित समस्त न्यायिक प्रकरणों की स्टेटस रिपोर्ट भी IMPACT सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जावे।
20. प्रत्येक सोनोग्राफी केन्द्र के निरीक्षण पर तैयार की जाने वाली PIR (PCPNDT Inspection report) को भी तुरंत IMPACT सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाये ताकि राज्य स्तर पर समीक्षा में इसका उपयोग किया जा सके।
21. रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की प्रोसेसिंग ऑनलाइन की गई है। जिसकी प्रक्रिया IMPACT सॉफ्टवेयर द्वारा पूर्ण की जावे एवं जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक इस प्रोसेस को पूर्ण करें।

22. जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश में ऑन लाइन रिपोर्टिंग व महिला की सोनोग्राफी बाबत् विकसित सॉफ्टवेयर की कार्य प्रणाली देखने हेतु राज्य से एक टीम बनाकर भेजी जावे।
23. जिन जिलों से जिला समुचित प्राधिकारी एवं उपखण्ड समुचित प्राधिकारी को सलाह देने हेतु गठित जिला एवं उपखण्ड सलाहकार समिति के तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं का मनोनयन बकाया है, इस बाबत् जिला कलक्टर को पुनः स्मरण पत्र जारी किया जावें तथा जिन जिलों से यह रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है उसका मनोनयन कार्यवाही पूर्ण करवाकर गजट प्रकाशन शीघ्र करवाया जावे।
24. उपखण्ड अधिकारी के स्थान पर जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी नियुक्त करने बाबत् सूचना लगभग सभी जिलों से प्राप्त हो चुकी है। इसकी अधिसूचना व गजट का प्रकाशन शीघ्र करवाया जाये।
25. **"बेटी बचाओं, बेटी पढाओं"** कार्यक्रम के तहत 10 जिले– जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझूनू, श्रीगंगानगर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्देशानुसार कार्य योजना तैयार करवाई जावे।
26. बोर्ड की आगामी बैठक 14.05.2015 से पूर्व करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

निदेशक (प0क0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी एवं माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं पदेन अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं पदेन उपाध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमति चन्द्रकान्ता मेघवाल, माननीय विधायक, रामगंजमण्डी, कोटा एवं सदस्य, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमति अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायक बांदीकुई, दौसा एवं सदस्य, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, राजस्थान जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर एवं सदस्य, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, राजस्थान जयपुर।

7. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर एवं सदस्य, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, राजस्थान जयपुर।

8. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर एवं सदस्य, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, राजस्थान जयपुर।

9. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर एवं सदस्य, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, राजस्थान जयपुर।

10. निजी सचिव, निदेशक (पीएनडीटी), भारत सरकार, नई दिल्ली।

11. सचिव, केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

12. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान, जयपुर।

13. अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं निदेशक (आईईसी)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।

14. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी, राजस्थान।

15. राजकुमारी दीया कुमारी, माननीय विधायक, सवाई माधोपुर एवं ब्राण्ड एम्बेसडर **"बेटी बचाओं"**, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।

16. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं उप निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान जयपुर।

17. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।

18. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी, राजस्थान।

19. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

20. समस्त पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।

21. Co-IT को निर्देशित किया जाता है कि कार्यवाही विवरण विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करें।

22. प्रभारी अपराध शाखा/स्वास्थ्य प्रबंधक/विधि सहायक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।

23. सेन्ट्रल सर्वर रूम।

24. रक्षित पत्रावली।

(किसनाराम ईशरवाल)
परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),
उप निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी राज्य
पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

परिशिष्ट "अ"

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.01.2015 को उपस्थित सदस्यगण एवं आमंत्रित पदाधिकारीगण:—

A. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे:—

1. श्रीमति चन्द्रकान्ता मेघवाल, माननीय विधायक, रामगंजमण्डी, कोटा।
2. डॉ0 पृथ्वी, निदेशक (आईसीडीएस) प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. श्रीमती हंसा सिंह देव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. डी.डी शर्मा, शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर।
5. डॉ एस. डी. शर्मा, सहायक निदेशक (आयुष) प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
6. हरिओम नारायण शर्मा, निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर।
7. वी.के. थौमाल, अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर। सदस्य सचिव।

B. बैठक में राज्य समुचित प्राधिकारी के निम्न माननीय सदस्य भी उपस्थित रहे—

1. श्री नवीन जैन, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा, पत्नी श्री लीलाशंकर आसोपा, निवासी आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर, सहायक स्टेट कमिश्नर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड, राज्य मुख्यालय।
3. श्री बृज किशोर गुप्ता, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण), विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान (bkgupta8@gmail.com)।

C. बैठक में निम्न ने भी भाग लिया :—

1. डॉ0 अर्चना जौहरी, सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, जयपुर।
2. श्री ओम प्रकाश टेपण, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला अजमेर।
3. श्री हरिकान्त शर्मा, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला बांसवाडा।
4. श्री दीपक जैन, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला बारां।
5. श्री प्रवीण कुमार, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला भरतपुर।
6. श्री रामस्वरूप सैन, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला भीलवाडा।
7. श्री महेन्द्र सिंह, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला बीकानेर।

8. श्री राफीक इकबाल सेक, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला चित्तौडगढ।

9. श्री रोहित, लिपिक, जिला चूरू।

10. श्री गुनेन्द्र शर्मा, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला दौसा।

11. श्री पंकज शुक्ला, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला धौलपुर।

12. सुश्री सुमित्रा फुमतियां, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला डूंगरपुर।

13. श्री मोहम्मद खान, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला हनुमानगढ।

14. श्रीमती बबीता चौधरी, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला जयपुर प्रथम।

15. श्रीमती मनीषा शर्मा, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला जयपुर द्वितीय।

16. श्रीमती रेणू भाटी, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला जैसलमेर।

17. श्री शंकर सुथार, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला जालौर।

18. श्री प्रभू लाल अग्रवाल, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला झालावाड।

19. श्री नन्दलाल पुनिया, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला झुंझूंनू।

20. श्रीमती सरला दधिच, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला जोधपुर।

21. श्री भूपेन्द्र, कनिष्ठ लिपिक, जिला करौली।

22. श्री प्रमोद कंवर, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला कोटा।

23. श्री सत्येन्द्र पालीवाल, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला नागौर।

24. श्री के.सी. सैनी, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला पाली।

25. श्री संदीप शर्मा, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला प्रतापगढ।

26. श्री आशीष गौतम, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला सवाई माधोपुर।

27. श्री मुरारी, कनिष्ठ लिपिक, जिला सीकर।

28. श्री पृथ्वीराज सिंह, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला सिरोही।

29. श्री रणदीप सिंह, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला श्रीगंगानगर।

30. श्रीमती मनीषा भटनागर, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, जिला उदयपुर।